# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :– 02 / 55 / 2011

<u>शीला बनाम जत्ती वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 15.04.2011 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 281 / 2312 / 0.75 है. वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.07.2011 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी कोई निर्माण नहीं करें तथा प्रार्थी को बेदखल न करें बाबत् जारी की गई तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 5 की तामील हेतु बार बार अवसर के बाद पालना नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन है जिसे लगभग 7 वर्ष का समय हो गया है एवं अप्रार्थी की तलबी के अभाव में प्रकरण का अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 281 / 2312 / 0.75 है. वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 15.04.2011 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट टहला)